



घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा

ऑस्ट्रेलिया में, घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाता है।

घरेलू और पारिवारिक हिंसा कानूनन अपराध हैं।

इन अपराधों को करने वाले व्यक्ति को जेल हो सकती है, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो।

यदि आपको या आपके किसी जानकार को खतरा है तो पुलिस को **000** पर फोन करें।
ऑस्ट्रेलिया की पुलिस सुरक्षित है और इस पर भरोसा किया जा सकता है।

निःशुल्क व गोपनीय परामर्श और मदद के लिए 1800 RESPECT को **1800 737 732** पर फोन करें।

यदि आपको एक निःशुल्क दुभाषिए की ज़रूरत है तो **131 450** पर फोन करें।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार (Australian Government) किसी भी परिस्थिति में घरेलू व पारिवारिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं करती है।

घरेलू और पारिवारिक हिंसा में ऐसे व्यवहार या धमकियाँ शामिल हैं जिनका उद्देश्य किसी पुरुष या महिला पार्टनर (सहजीवी) में भय पैदा करके या उनकी सुरक्षा के बारे में डरा-धमका कर उन्हें नियंत्रण में रखना होता है। घरेलू और पारिवारिक हिंसा में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- मारपीट करना;
- गला दबाना;
- परिवार या पार्टनर (सहजीवी) को अत्यावश्यक पैसे देने से मना करना;
- पार्टनर को मित्रों और परिवार से अलग रखना;
- पार्टनर का अपमान करना या उनकी निरंतर आलोचना करना; और
- बच्चों या पालतू पशुओं को डराना-धमकाना।

महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं।

ऑस्ट्रेलियाई कानून महिलाओं और पुरुषों के साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं।

हर किसी को, हिंसा से मुक्त, एक खुशहाल सम्बन्ध और समाज में रहने का अधिकार है।

महिलाओं को दुर्व्यवहार या चोट पहुँचाने वाले व्यवहार को स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक तौर पर संवेदनशील सेवाएँ मौजूद हैं जो सहायता कर सकती हैं।

1800 RESPECT ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न, पारिवारिक एवं घरेलू हिंसा परामर्श सेवा (Australia's National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service) है। यह निःशुल्क व गोपनीय टेलीफोन व ऑनलाइन परामर्श और सूचना प्रदान करती है। परामर्शदाता आपकी बात सुनेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और वे आपके स्थानीय क्षेत्र में दूसरी सहायता सेवाओं तक आपको रेफर कर सकते/सकती हैं।

1800 737 732 पर फोन करें या 1800 RESPECT की वेबसाइट www.1800RESPECT.org.au देखें।

क्या आपको किसी दुभाषिए की ज़रूरत है?

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service - TIS) को **131 450** पर निःशुल्क फोन करें। TIS अन्य सेवाओं के साथ बातचीत करने में आपकी मदद कर सकती है। TIS सलाह-मशवरा सेवा प्रदान नहीं करती है।